

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / ४४० / 2022

दिनांक: ०७.०५.२०२२

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Jyoti Verma

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

पर्यावरण विज्ञान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 28.03.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **Dr. Vinod Kumar Chaudhary, Department of Environmental Science, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya.**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

MSG
06.04.2022
सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, **Dr. Vinod Kumar Chaudhary, Department of Environmental Science, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya.**
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / ४५६ / 2022

दिनांक: ०७.०५.२०२२

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

अभिमन्यु सिंह
पुत्र श्री अर्जुन सिंह
.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

शिक्षाशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 27.03.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० बी०के० गुप्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग, जे०एल०एम०एन० पी०जी० कालेज, बाराबंकी।


शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० बी०के० गुप्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग, जे०एल०एम०एन० पी०जी० कालेज, बाराबंकी।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


सह-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 880 / 2022

दिनांक: 01.04.2022

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Jyoti Verma

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

पर्यावरण विज्ञान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 28.03.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **Dr. Vinod Kumar Chaudhary, Department of Environmental Science, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya.**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, **Dr. Vinod Kumar Chaudhary, Department of Environmental Science, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya.**
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / ४५३ / 2022

दिनांक: 07.04.2022

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Subhash Chaudhary
S/o Parmatma Nath
Botany

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

Botany विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक **04.04.2022** की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० ओवैद अख्तर, के० एन०आई०पी०एस०एस० सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० ओवैद अख्तर, के० एन०आई०पी०एस०एस० सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ ४५३ /2022

दिनांक: 07.04.2022

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Ved Prakash Jaiswal
S/o Saltan Prasad Jaiswal

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

Botany विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.04.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **Dr. Prabhat Kumar Srivastava, K.S. Saket P.G. College Ayodhya .**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, **Dr. Prabhat Kumar Srivastava, K.S. Saket P.G. College Ayodhya .**
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 854 /2022

दिनांक: 07.04.2022

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Karuna
D/o Shri Shiv Kumar
Botany

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

Botany विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक **04.04.2022** की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **Dr. Faujdar Yadav, Associate Professor, K.S. Saket P.G. College, Ayodhya.**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रोतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, **Dr. Faujdar Yadav, Associate Professor, K.S. Saket P.G. College, Ayodhya.**
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह कुलसचिव



दूरभाष नं०-05278-245957

05278-246223

ई-मेल- rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / ४५० / 2022

प्रेषक :

दिनांक: 07.04.2022

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Pranav Mishra
S/o Sandeepan Mishra
Botany

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

Botany विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 04.04.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: **Dr. Meenakshi Pandey, K.N.I.P.S.S , Sultanpur.**

शोध उपाधि समिति की अनुशांसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, **Dr. Meenakshi Pandey, K.N.I.P.S.S , Sultanpur**
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / ४५१ / 2022

दिनांक: ०७.०५.२०२२

प्रेषक :

सह-कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Basant Kumar Verma
S/o Babu Ram Verma
Botany

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

Botany विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक **04.04.2022** की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० ओवैद अख्तर, के० एन०आई०पी०एस०एस० सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

सह-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक, डॉ० ओवैद अख्तर, के० एन०आई०पी०एस०एस० सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-कुलसचिव